न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या–09/2018

1. हरदयाल पुत्र केशुराम जाति जाट साकिन महलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

— अपीलान्ट

बनाम

1. सुल्तान पुत्र केशूराम जाति जाट साकिन महलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. भादर पुत्र केशराम जाति जाट साकिन महलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. महावीर वल्द गणेश सिंह जाति राजपूत साकिन महलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सुनील पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत साकिन महलिया तहसील भादरा।
5. संजय पुत्र महावीर जाति राजपूत साकिन महलिया तहसील भादरा।
6. सुनिता पत्नि पत्नी चंद्रसिंह जाति राजपूत निवासी महलिया तहसील भादरा।
7. धुनसिंह वल्द चंद्रसिंह जाति राजपूत साकिन महलिया तहसील भादरा।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।
9. शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक मलसीसर तहसील भादरा।

— रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांट।

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1, 2

जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

निर्णय दिनांकः–

अपीलांट हरदयाल पुत्र अपील विरू केशुराम जाति जाट साकिन महलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ द्वारा निर्णय तहीलदार राजस्व भादरा क्रमाक/राजस्व/बंटवारा /96/ 568 दिनांक 15.05.1996 जिसके द्वारा ग्राम महलिया के गणेशा जाति राजपूत आदि एवं भादर, हरदयाल, सुल्तान पि0 केशुराम जाति जाट की भूमि का खाता विभाजन किये जाने का आदेश दिये निरस्त करने हेतु अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:29 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

1. अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून वाकयात व ईन्साफ होने से काबिल निरस्ती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं होने के कारण उपलब्ध चित्रप्रति के साथ अपील प्रस्तुत की जा रही है । अधीनस्थ न्यायालय की प्रमाणित प्रति हेतू आवेदन पत्र दिनांक 26.04.2018 को प्रस्तुत करने पर पत्रावली उपलब्ध नहीं होने की रिपोर्ट के साथ दिनांक 27.04.2018 को सीगेदार द्वारा सूचित किया गया, इस कारण अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं होने के कारण बिना प्रमाणित प्रति अपील प्रस्तुत की जा रही है, नकल हेतू प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न अपील है इसलिये अपील के साथ अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनें की छूट प्रदान की जावे, इस हेतू पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

2. विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा ग्राम मेहलिया तहसील भादरा की संयुक्त खाता की भूमि का खाता विभाजन का आदेश पारित कर भादरसिंह रेस्पो0 संख्या 2 को ख0 नं0 97/4 की 3 बिघा 7 बिस्वा बारानी, हरदयाल अपीलान्ट को ख0 नं0 97/1 की 3 बिघा 6 बिस्वा, ख0 नं0 99/1 की 1 बिघा 10 बिस्वा, ख0 नं0 97/2 की 1 बिघा 17 बिस्वा कुल 6 बिघा 13 बिस्वा एवं रेस्पो0 संख्या 1 सुल्तान को ख. नं0 99/2 की 8 बिस्वा व ख0 नं0 973 की 2 बिघा 19 बिस्वा भूमि खाता विभाजन में पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर उक्तानुसार खाता विभाजन में दिये जाने का आदेश प्रसारित किया है एवं शेष भूमि रेस्पो0 संख्या 3 ता 7 को अपीलाधीन निर्णय से दी गई है जिसे अपीलान्ट निम्न आधारों पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की हद तक पारित अपीलाधीन निर्णय को चुनौती दे रहा है।

3. अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष जिस प्रकार से प्रश्नगत भूमि पर काबिज है उसी अनुसार खाता विभाजन का आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया था, जिससे सभी पक्षकारान सहमत भी रहे थे परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा खाता विभाजन का आदेश पारित करते समय जो, भूमि मौका कब्जा अनुसार अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को दिया जाना तय हुई थी उससे भिन्न भूमि में नक्शा बनाते वक्त गलत रूप से रंग भर कर ख0 नं0 भी गलत दर्शित करने में भूल की है, जो मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय इसी आधार पर काबिल अपास्त है।

4. विचारण न्यायालय के समक्ष जो नक्शा अपीलाधीन निर्णय के साथ सलंग्न किया गया है उससे अपीलान्ट कतई सहमत नहीं [illegible] अपीलान्ट व अन्य पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं हैं, रेस्पो0 संख्या 1, 2 [illegible] के अनपढ़ व भोला होने का फायदा उठाकर उसे तीन टुकड़ो में भूमि का [illegible]पनी इच्छा अनुसार बंटवारा कर वास्तविक रूप से कब्जा काश्त से भिन्न जगह की भूमि नक्शा में गलत जगह एंव

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:29 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

ख0नं0 दर्शित कराते हुए अपीलाधीन आदेश प्राप्त कर लिया है एवं रेस्पो0 संख्या 1,2 ने अपनी भूमि एक ही जगह विपती ही प्राप्त कर ली, इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय से अपीलान्ट को विभाजन में दी गई भूमि के नक्शा से ही स्पष्ट है कि अपीलान्ट को क्षति पहुँचाने की नियत से एवं उसके भोलेपन का फाइदा उठाकर उसे जो भूमि वास्तविक रूप से कब्जानुसार भूमि ना देकर उससे भिन्न भूमि तीन टुकड़ो में विभाजित कर कतई अवैधानिक तौर से दी गई है। इसलिए अपीलान्ट आज की मौका की रिपोर्ट अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की जरिये मौका कमीश्नर मंगवाए जाने का भी पृथक से निवेदन कर रहा है, जिसमें कब्जा की वास्तविक स्थिति का पता चल सके एवं किसी पक्षकार के साथ कोई अन्याय ना हो सके। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय कतई अवैध है, जो उक्ताधार पर ही काबिल निरस्ती है ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.1996 निरस्त किया जाकर मुताबिक कब्जा काश्त जहा अपीलान्ट की ढ़ाणी व डिग्गी बनी है की भूमि में अपीलान्ट के कब्जे काश्त के अनुसार नक्शा में रंग भरने एवं उसी अनुसार अभिलेख में दर्ज करने का आदेश फरमावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1, 2 की ओर से श्री विजयसिंह कड़वासरा एडवोकेट उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या–3 ता 7, 9 बाद तामिल उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या– 9 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा से अपीलाधीन प्रकरण के संबध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। अधिवक्ता अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या– 1, 2 द्वारा प्रार्थना–पत्र/ आवेदन पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या– 1, 2 का खाता विभाजन संशोधित किये जानें बाबत निवेदन किया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा तहसीलदार भादरा के पत्रांक भू.अ./24/765 दिनांक 14.10.2024 की रिपोर्ट के अनुसार निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या– 1, 2 द्वारा भी अधिवक्ता अपीलांट से सहमती जाहिर करते हुए कथन किया कि तहसीलदार भादरा के पत्रांक भू.अ./24/765 दिनांक 14.10.2024 की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने बाबत निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:29 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एंव अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा के पत्रांक भू.अ./24/765 दिनांक 14.10.2024 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। तहसीलदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

भादरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में मुताबिक राजस्व रिकार्ड एंव मुताबिक मौका हालात का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो निम्न प्रकार है–

मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार–

(1) भादरसिंह पुत्र केशुराम कौम जाट सा0देह खातेदार ख0नं0 97/4 की 0.848है0 बारानी–1

(2) हरदयाल पुत्र केशुराम कौम जाट सा0देह खातेदार ख0नं0 97/1 की 0.835है0 97/2 की 0.468है0, 99/1 की 0.379है0 कुल किता 9/1.682है0 है0 बारानी–1

(3) सुलतान पुत्र केशुराम कौम जाट सा0देह खातेदार ख0नं0 97/3 की 0.746है0 बारानी–1, 97/2 की 0.101है0 बारानी–1 किला किता 2/0.847है0 बारानी–1

मौका हालात के अनुसार–

(1) भादरसिंह पुत्र केशुराम कौम जाट साकिन देह खातेदार ख0नं0 97/2 की 0.468है0, 97/3 की 0.127है0, 97/4 की 0.253है0 कुल किता 3/0.848है0, बारानी–1

(2) हरदयाल पुत्र केशुराम कौम जाट सा0 देह खातेदार 97/3 की 0.619, 97/4 की 0.595है0, 99/2 की 0.101है0, 97/1 की 0.367है0 कुल किता 4/1.682है0 खसरा नं0 97/3 में पक्की डिग्गी व आवासीय मकान व 99/2 में आवासीय मकान है।

(3) सुलतान पुत्र केशुराम कौम जाट सा0देह खातेदार ख0नं0 99/1 की 0.379है0, 97/1 की 0.468है0 कुल किता 2/0.847है0 बारानी–1

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा द्वारा दिनांक 15.05.1996 को पटवार हल्का बोझला ग्राम मेहलिया तहसील भादरा के ख0नं0 97/1, 97/4, 99/1, 99/4 के पारित खाता विभाजन द्वारा के आधार पर अपीलांट एंव रेसपोडेन्ट संख्या–1, 2 के हिस्सा व मौका रिपोर्ट में भिन्नता है। अपीलांट एंव रेसपोडेन्ट संख्या–1, 2 हिस्से के भूमि का उनके कब्जा एंव सहमती अनुसार विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज न करके अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा द्वारा भूल कारित की है। तहसीलदार भादरा द्वारा दिनांक 15.05.1996 पारित निर्णय/खाता विभाजन में पक्षकारान की सहमती को नजरंदाज कर उनका हिस्से की तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया जो कि न्यायौचित नहीं एंव निर्णय/खाता विभाजन को बहाल रखनें का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा द्वारा दिनांक 15.05.1996 को पारित/निर्णय खाता विभाजन को अपीलांट एंव रेसपोडेन्ट संख्या–1, 2 की हक व हिस्सा की हद तक अपास्त किया जाता है एंव पत्रावली इस निर्देश के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:29 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

साथ तहसीलदार भादरा को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या– 1, 2 द्वारा प्रस्तुत सहमती के आधार पर एंव कार्यालय तहसीलदार भादरा के पत्र क्रमांक भू.अ./24/765 दिनांक 14.10.2024 की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 13/5/26 को सरेइजलास सुनाया गया

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:29 IST
Reason: SelfAttested